

संख्या-भा0ति0सी0पु0/38वीं वा0/स्थापना-2/न्यायिक जांच (दिनेश कटारिया)/2024-

579

कार्यालय कमाण्डेंट, 38वीं वाहिनी भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

पो0ऑ0- खरोरा, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़- 493225

E-Mail-itoell38thbn@itbp.gov.in


/नोटिस/

File 28/03/24

दल संख्या 057040043 का0(कि0स0) दिनेश कटारिया सुपुत्र श्री दिवान सिंह कटारिया मूल निवास समसपुर खालसा, पत्रालय-उजवा, पुलिस स्टेशन-जाफरपुर कलां, जिला-दक्षिण-पश्चिम दिल्ली (दिल्ली) पिन-110073 स्वीकृत 30 दिन अर्जित अवकाश से दिनांक 30.12.2023(पूर्वा0) से बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के अवकाश से अनुपरिथत चल रहा है। आपको 38वीं वाहिनी के पंजीकृत कार्यालय ज्ञापन संख्या 17 दिनांक 03.01.24, 95 दिनांक 09.01.24, 162 दिनांक 17.01.24 एवं पत्र सं0-196 दिनांक 23.01.23 के तहत शीघ्र ड्यूटी पर आमद देने हेतु निर्देशित किया गया था लेकिन आपने अभी तक ड्यूटी पर आमद नहीं दी है।

2. आपके अवकाश से अनुपरिथत रहने के कारणों का पता लगाने हेतु भा0ति0सी0पु0बल अधिनियम 1992 की धारा 74 (1) में दिए गए प्रावधानों के तहत 38वीं वाहिनी के आदेश संख्या 285 दिनांक 05.02.2024 के तहत न्यायिक जांच समिति का गठन किया गया था। न्यायिक जांच समिति की संस्तुति के आधार पर भा0ति0सी0पु0बल अधिनियम 1992 की धारा 74 (2) के तहत आपको 38वीं वाहिनी के आदेश संख्या 508 दिनांक 20.03.2024 के तहत दिनांक 30.12.2023(पूर्वा0) से भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल से भगौडा (**Deserter**) घोषित किया गया है जिसकी एक प्रति आपके गृह नगर के पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजी गई है।

3. दल संख्या 057040043 का0(कि0स0) दिनेश कटारिया सुपुत्र श्री दिवान सिंह कटारिया मूल निवास समसपुर खालसा, पत्रालय-उजवा, पुलिस स्टेशन-जाफरपुर कलां, जिला-दक्षिण-पश्चिम दिल्ली (दिल्ली) पिन-110073 को सूचित किया जाता है, कि इस नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर अपनी आमद 38वीं वाहिनी भा0ति0सी0पु0बल पो0ऑ0-खरोरा जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) में दें अन्यथा यह समझा जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और आप इस बल में सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं, फलस्वरूप आपकी सेवाएं समाप्त करने हेतु नियमानुसार वांछित कार्रवाई की जाएगी।

  
कमाण्डेंट 27 Mar 24

38वीं वा0 भा0ति0सी0पु0बल

CBC 19112/11/0001/2425